# प्रेस नोट दि0-23.02.2026

**प्रेस नोट दि0-23.02.2026**
**थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़**

**प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-**

**पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

**थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत अकोढिया गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।**

**पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 हेमन्त वर्मा मय हमराह का० शिवराम मिश्रा व म0का0 पिंकी त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 20/26 धारा 137 (2)/87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त संदीप यादव उर्फ लल्लू पुत्र देवराज यादव निवासी ग्राम खानीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत अकोढिया गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।**

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**
**01. संदीप यादव उर्फ लल्लू पुत्र देवराज यादव निवासी ग्राम खानीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**
**उ0नि0 हेमन्त वर्मा मय हमराह का० शिवराम मिश्रा व म0का0 पिंकी त्रिपाठी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।**

**प्रेस नोट दिनांक 23.02.2026**
**थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।**

**घर के भीतर गला दबाकर की गई महिला की हत्या का पुलिस ने किया सफल अनावरण, थाना देल्हूपुर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार-**

**पति से संबंधों के शक में की गई हत्या, पूछताछ में अभियुक्ता ने हत्या की बात कबूली-**

**पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में गठित टीमों ने सर्विलांस सेल की सहायता से घटना का सफल अनावरण किया-**

**दिनाकं 21.02.2026 को घर के अंदर गला दबाकर वादिनी बहू की हत्या की गई थी, उक्त के संबंध में थाना देल्हूपुर में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था-**

**प्रतापगढ़।**
**दिनांक 21.02.2026 को वादिनी नि० ग्रा० सहेरुआ थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ की बहू की घर के अन्दर किसी अज्ञात व्यक्तियो द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 23/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।**

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू मय हमराह तथा स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह द्वारा सर्विलांस सेल की सहायता से वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं पूछताछ की कार्यवाही की जा रही थी। उक्त क्रम में मु0अ0सं0 23/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता 1. सोनू गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम चमरुपुर शुक्लान, थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष एवं 2. मंजू गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता निवासी दुन्दा का पुरवा, थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चमरुपुर शुक्लान से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्ता मंजू गुप्ता द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि मृतका मेरे पति से बात करती थी जिस कारण मेरे पति मुझे छोड़ना चाहते थे और मारपीट करते थे । अपना परिवार बचाने के लिए मै अपने भतीजे सोनू गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता के साथ दिनांक 21.02.2026 को मृतका को समझाने उसके घर गयी थी, जहाँ पर हाथापाई के दौरान आवेश में आकर हम लोगों ने मिलकर मृतका पहने हुई साड़ी से उसका गला घोट दिया तथा वहाँ से भाग निकले थे ।

अभियुक्तों का विवरण-
1. सोनू गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी चमरुपुर शुक्लान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष ।
2. मंजू गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता निवासी दुन्दा का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 39 वर्ष ।

पुलिस टीम-
थाना देल्हूपुर पुलिस-
थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू व निरीक्षक श्री उमेशचन्द्र मय हमराह उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी, का0 विनय पटेल व म0आ0 पूजा देवी मय चालक का0 बृजमोहन चौधरी थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

एसओजी/सर्विलांस टीम-
एसओजी टीम प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय टीम उ0नि दिनेश सिंह, हे0का0 धनंजय राय, का0 आसुतोष पाण्डेय, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 सलमान मय चालक है0का0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह ।

सर्विलांस टीम- का0 सनोज कुमार

प्रेस नोट दि0-23.02.2026
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

धर्म परिवर्तन प्रकरण में थाना जेठवारा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, नामजद 01 अभियुक्त बदरूल जमा गिरफ्तार

**पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में धर्म परिवर्तन प्रकरण में नामजद 01 अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रातंर्गत दाउद नगर नहर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

**दिनांक 22.02.2026 को थाना जेठवारा पर प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि निवासी पथरिया, थाना सागर, जिला सागर (मध्य प्रदेश) को ग्राम कुटिलिया निवासी बदरुल जमा पुत्र रफीउजमा द्वारा अपने पास रखा गया था तथा उसका धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप है। पीड़ित द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह बचपन से ही अपने परिजनों से अलग रह रहा है तथा लगभग 12 वर्ष से बदरुल जमा के यहां निवासरत है। लगभग 04 वर्ष पूर्व बदरूल जमा पुत्र रफीउजमा, कल्लू पुत्र मुनीर, नईम पुत्र मुनीर निवासी गढ़ कुटिया सेंडदेई, निजाम पुत्र जैनुद्दीन (वर्तमान मौलाना, दाउदनगर मस्जिद) एवं 05-06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कर उसका नाम शेर खान पुत्र उमर रख दिया गया। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 115(2)/352(2)/351/127(2)/319(2)/318(4)/338(3)/336/340 बीएनएस तथा 3/5(1) उत्तर प्रदेश धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 04 नामजद एवं 05-06 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।**

**पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना जेठवारा के उ0नि0 वारिज मय हमराह उ0नि0 अमलेश शुक्ला, का0 सुनील सरोज द्वारा अन्तर्गत मु0अ0सं0 42/2026 धारा 115(2)/352(2)/351/127(2)/319(2)/318(4)/338(3)/336/340 बीएनएस तथा 3/5(1) उत्तर प्रदेश धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त बदरुल पुत्र रफीउजमा उर्फ ननकऊ उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रातंर्गत दाउद नगर नहर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।**

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. **बदरुल जमा पुत्र रफीउजमा उर्फ ननकऊ उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।**

**पुलिस टीम का विवरण-**

**उ0नि0 वारिज मय हमराह उ0नि0 अमलेश शुक्ला, का0 सुनील सरोज थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।**